

न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थित: अनिल कुमार-X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०.....383/2023

सरकार

बनाम

विकास आदि

अंतर्गत धारा-498A,323/34,406,504,506 भा०द०सं०एवं

धारा-3/4 दहेज प्रति०अधि०

थाना-विजयनगर गाजियाबाद।

मु० अ० सं०-1508/2021

मैमोरेण्डम

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण विकास व बालकिशन मय अधिवक्ता जमानत पर उपस्थित आए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्क आरोप सृजित किये जाने के बिंदु पर सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा-498A,323/34,406,504,506 भा०द०सं०एवं धारा-3/4 दहेज प्रति०अधि० के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप सृजित किया जाता है।

पत्रावली दिनांक 24-11-2023 को वास्ते बहस चार्ज शेष अभियुक्ता उर्मिला प्रस्तुत हो।

(अनिल कुमार-X)

सत्र न्यायाधीश

गाजियाबाद।

दिनांक 23.11.2023